भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 475

मंगलवार, 03 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

गैर-मेट्रो और अर्ध-शुष्क जिलों में सीमित औद्योगिक निवेश

475. श्री धर्मबीर सिंहः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औद्योगिक निवेश अभी भी कुछ चुनिंदा क्षेत्रों के लिए ही संकेंद्रित है;

(ख) क्या जिला-वार औद्योगिक अंतराल विश्लेषण किया गया है;

(ग) क्या बुनियादी ढांचे की बाधाएं निवेशकों को रोजगार के मामले में अर्ध-विकसित जिलों में निवेश से रोकती हैं;

(घ) क्या पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के लिए कोई प्रोत्साहन मौजूद हैं;

(ङ) क्या जिला स्तर पर एकल खिड़की मंजूरी प्रणाली प्रभावी है; और

(च) क्या विनिर्माण को आकर्षित करने, रोजगार सृजन करने और संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने के लिए भिवानी-महेंद्रगढ़ को लक्षित औद्योगिक प्रोत्साहन पहलों के अंतर्गत शामिल किया जाएगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ङ): औद्योगिक क्षेत्र के विकास का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से राज्य सरकारों का है। राज्य, औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए विभिन्न नीतिगत उपाय अपनाते हैं। केंद्र सरकार, निवेश संवर्धन स्कीम, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी), औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम, उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम, राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर्स के अंतर्गत एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर (आईएमसी), स्टार्टअप इंडिया आदि जैसी विभिन्न स्कीमों के माध्यम से औद्योगीकरण को बढ़ावा देने और औद्योगिक क्षेत्र के समग्र विकास के लिए एक सक्षम ईकोसिस्टम प्रदान करने के राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती है।

भारत सरकार, राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) के भाग के रूप में विभिन्न औद्योगिक कॉरिडोर परियोजनाओं का विकास कर रही है, जिसका उद्देश्य भारत में ऐसे ग्रीनफील्ड औद्योगिक एरिया/क्षेत्र/नोड्स का विकास करना है, जो विश्व में सर्वोत्तम विनिर्माण और निवेश गंतव्य

स्थलों से प्रतिस्पर्धा कर सकें। अब तक, भारत सरकार ने राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) के तहत 20 परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया है।

औद्योगिक पार्क देश के औद्योगिक और नवप्रयोग एजेंडा को त्वरित गति प्रदान करने के लिए मुख्य साधन के रूप में उभरे है। राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में विकसित इन पार्कों ने निवेश, प्रगति-आधारित विकास और आर्थिक उन्नति को गति प्रदान करते हुए भारत के औद्योगिक आधार को सुदृढ़ बनाया है। ये रोजगार सृजन को प्रोत्साहन प्रदान करते है और सतत विकास को भी बढ़ावा देते हैं। वर्तमान में, भारत में 306 प्लंग-एंड-प्ले औद्योगिक पार्क हैं और राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कॉरपोरेशन (एनआईसीडीसी) के तहत 20 और औद्योगिक पार्कों और स्मार्ट सिटी का विकास किया जा रहा है।

छत्रपति संभाजीनगर, महाराष्ट्र में ऑरिक (शेंद्रा-बिदकिन औद्योगिक क्षेत्र) ने हाल ही में अपनी छठी वर्षगांठ मनाई और अपनी औद्योगिक प्रगति, वैश्विक निवेश और सतत वृद्धि की यात्रा का प्रमाण प्रस्तुत किया। ऑरिक राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) के तहत भारत की पहली ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट सिटी है। यह क्षेत्र मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी से युक्त है, जिसमें समृद्धि महामार्ग, प्रस्तावित संभाजीनगर-पुणे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, जालना ड्राई पोर्ट और समीपवर्ती औरंगाबाद एयरपोर्ट तथा प्रमुख रेलवे लिंक शामिल हैं। ये कनेक्टिविटी पहलें, पीएम गतिशक्ति के अनुरूप हैं, जो लॉजिस्टिक्स दक्षता को बढ़ावा देती हैं और ऑरिक को प्रतिस्पर्धी निवेश केंद्र बनाती हैं।

भारत सरकार ने निम्नानुसार विभिन्न क्षेत्र-विशिष्ट पहलों की शुरुआत की है, ताकि पिछड़े, पहाड़ी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संतुलित औद्योगिक वृद्धि सुनिश्चित हो सके:-

(i) **उन्नति (उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगीकरण स्कीम)** : यह स्कीम, क्षेत्रीय अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों को सहायता प्रदान करने, रोजगार के अवसर सृजित करने और क्षेत्रगत परिवर्तन और संपन्नता को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए 09 मार्च, 2024 को शुरू की गई थी। उन्नति स्कीम के अंतर्गत, औद्योगिक इकाइयों को निम्नलिखित प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं:-

- पूंजीगत निवेश प्रोत्साहन (सीआईआई)
- पूंजीगत ब्याज सहायता (सीआईएस)
- विनिर्माण एवं सेवा संबद्ध प्रोत्साहन (एमएसएलआई)

(ii) 4,250 करोड़ रुपए के परिव्यय से अगस्त, 2025 में मंत्रिमंडल द्वारा असम और त्रिपुरा के लिए **विशेष विकास पैकेज (एसडीपी)** की मौजूदा केंद्रीय क्षेत्र स्कीम के तहत चार नए घटकों को अनुमोदित किया गया था। इससे कमजोर और वंचित वर्ग के लोगों, जो विभिन्न मौजूदा सरकारी स्कीमों से पर्याप्त रूप से लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं, की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा सकेंगी, युवा तथा महिलाओं के लिए शिक्षा एवं कौशल तथा आजीविका कार्यकलापों के जरिए आय को प्रस्तावित प्राप्त होगा और देश के अन्य भागों से पर्यटकों के आवागमन में बढ़ोतरी होगी, जिससे पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों के लिए अतिरिक्त रोजगार सृजित करने और आजीविका के अवसर प्रदान किए जा सकेंगे।

(iii) भारत सरकार ने नए निवेशों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए 28,400 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय से संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर के औद्योगिक विकास हेतु **केंद्रीय क्षेत्र की नई स्कीम (एनसीएसएस), 2021** को अधिसूचित किया है। केंद्रीय क्षेत्र की नई स्कीम (एनसीएसएस) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं:

- पूंजीगत निवेश प्रोत्साहन (सीआईआई)
- पूंजीगत ब्याज सहायता (सीआईएस)
- वस्तु एवं सेवा कर संबद्ध प्रोत्साहन (जीएसटीएलआई)
- कार्यशील पूंजीगत ब्याज सहायता (डब्ल्यूसीआईएस)

भारत सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने तथा अधिक रोजगार अवसर सृजित करने के उद्देश्य से कई उपाय किए हैं। निवेश को सुविधाजनक बनाने, नवप्रयोग को बढ़ावा देने, सर्वोत्तम अवसंरचना का निर्माण करने और भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवप्रयोग का केंद्र बनाने के लिए दिनांक 25 सितंबर, 2014 को 'मेक इन इंडिया' पहल की शुरुआत की गई थी। वर्तमान में, 'मेक इन इंडिया 2.0' 15 विनिर्माण क्षेत्रों सहित 27 क्षेत्रों पर फोकस कर रहा है, जिसे विभिन्न मंत्रालयों और विभागों तथा राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया गया है। मेक इन इंडिया 2.0 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों की सूची **अनुबंध-I** में संलग्न है।

मेक इन इंडिया पहल को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने केंद्रीय बजट 2025-26 में 100 करोड़ रुपए के परिव्यय से राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन (एनएमएम) की घोषणा की है। यह मिशन, पांच प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष बल देगा अर्थात् व्यापार करने में सुगमता और उसकी लागत; अधिक मांग वाली नौकरियों हेतु भविष्य के अनुरूप तैयार कार्यबल; जीवंत और ऊर्जावान

एमएसएमई क्षेत्र; प्रौद्योगिकी की उपलब्धता; और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद।

इसके अलावा, भारत के 'आत्मनिर्भर' बनने के विजन को ध्यान में रखते हुए और भारत की विनिर्माण क्षमताओं तथा निर्यात को बढ़ाने हेतु, 1.97 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय से 14 प्रमुख क्षेत्रों के लिए उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीमों की शुरुआत की गई है। इन स्कीमों में उत्पादन को व्यापक रूप से बढ़ाने, विनिर्माण आउटपुट में बढ़ोतरी करने और भविष्य में तीव्र गति से आर्थिक विकास में योगदान करने की क्षमता है। पीएलआई स्कीमों का उद्देश्य प्रमुख क्षेत्रों में निवेश और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को आकर्षित करना; विनिर्माण क्षेत्र में दक्षता सुनिश्चित करना और पैमाने का विस्तार करना किफायत करना एवं भारतीय कंपनियों और विनिर्माताओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। इन स्कीमों में लगभग अगले पांच वर्षों में उत्पादन, रोजगार और आर्थिक विकास को व्यापक रूप से बढ़ावा देने की क्षमता है। अर्ध-शुष्क (सेमी-एरिड) जिलों और पिछड़े क्षेत्रों सहित देश के विभिन्न भागों से सभी 14 क्षेत्रों के लिए पीएलआई स्कीमों के अंतर्गत 806 आवेदन प्राप्त हुए हैं। पीएलआई स्कीमों के परिणामस्वरूप 12.60 लाख से अधिक (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) रोजगारों का सृजन हुआ है।

अन्य प्रमुख पहलों में स्टार्ट-अप इंडिया, राष्ट्रीय सिंगल विंडो प्रणाली, जीआईएस समर्थित भूमि बैंक, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति में सुधार, मल्टी-मोडल अवसंरचना की एकीकृत आयोजना के लिए पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टरप्लान, प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं की स्थापना में आनेवाली बाधाओं को दूर करने के लिए परियोजना मानीटरिंग समूह, औद्योगिक पार्कों की स्थापना करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करने के कार्यक्रम, अनुपालन बोझ में कमी के उपाय करना, श्रम कानूनों को युक्तिसंगत बनाना, वस्तु और सेवा कर की शुरुआत करना, कॉरपोरेट कर की दर में कमी करना, सार्वजनिक अधिप्राप्ति आदेश, चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) और गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) के माध्यम से घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के उपाय इत्यादि शामिल हैं।

भारत सरकार, देशभर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वातावरण को बेहतर बनाने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। केंद्र सरकार ने ईज ऑफ डूईंग बिजनेस पहल के तहत, भारत में व्यावसायिक वातावरण को बेहतर बनाने, निवेश आकर्षित करने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और कारोबार के लिए अधिक अनुकूल विनियामक फ्रेमवर्क को बढ़ावा देने जैसी कई पहलें की हैं, जिसमें व्यवसाय सुधार कार्य योजना (बीआरएपी), बिजनेस-रेडी मूल्यांकन, जन विश्वास तथा व्यवसायों और नागरिकों पर अनुपालन बोझ को कम करना शामिल है।

निवेशकों के लिए सिंगल इंटरफेस की सुविधा प्रदान करने के लिए, डीपीआईआईटी ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सिंगल विंडो सिस्टम (एसडब्ल्यूएस) को अपनाए जाने को प्रोत्साहित किया है। यह पोर्टल nsws.gov.in के जरिए एक्सेस किया जा सकता है, जो गर्वमेंट-टु-बिजनेस (जी2बी) को सुगम बनाने के लिए और उद्योग हेतु निवेशक-संबंधी मंजूरियों हेतु वन-स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह पोर्टल जानकारी को समेकित करते हुए और विभागीय पोर्टलों को बार-बार देखने की आवश्यकता को कम करते हुए जी2बी अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है।

इसके अतिरिक्त, बिजनेस रिसपांस कार्य योजना (बीआरएपी) पहल की शुरुआत विभाग द्वारा वर्ष 2014 में की गई थी, जिसका उद्देश्य पारदर्शिता को प्रोत्साहन प्रदान करना, विनियामक प्रक्रिया को सरल बनाना, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सेवा की आपूर्ति को बढ़ावा देना है, ताकि व्यवसायों के लिए समय और लागत को कम किया जा सके।

इसे ध्यान में रखते हुए कि व्यवसाय प्रायः जिला-स्तर के संस्थानों से संपर्क स्थापित करते है, दिसंबर, 2024 में आयोजित मुख्य सचिवों के सम्मेलन के दौरान, जमीनी स्तर पर ईओडीबी सुधारों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया गया। इसे ध्यान में रखते हुए डीपीआईआईटी ने जिला व्यवसाय सुधार कार्य योजना (डीबीआरएपी) की शुरुआत की है। यह राज्यों के नेतृत्व वाली पहल है, जिसका उद्देश्य बीआरएपी को जिलों में स्थानीय स्तर पर उतारना है। डीबीआरएपी को अंतिम छोर तक आपूर्ति को सुदृढ़ करने, सेवा की गुणवत्ता में सुधार करने और जिलों को मजबूत संस्थागत और डिजिटल अवसंरचना से युक्त करके क्षेत्रीय विकास में तेजी लाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये सुधार सभी जिला कलेक्ट्रेटों, विकास प्राधिकरणों और शहरी स्थानीय निकायों में कार्यान्वित किए जाएंगे, जो विनियामक अनुमोदनों, निरीक्षणों तथा व्यवसाय को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

डीबीआरएपी के तहत, सुधार 1-43 के अंतर्गत यह अपेक्षित है कि जिला स्तर पर सभी चिह्नित सेवाओं को ऐसी ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से एंड-टु-एंड रूप में प्रदान किया जाए, जिसमें भौतिक टचप्वाइंट के बिना व्यापार जीवनचक्र का प्रत्येक चरण-पंजीकरण, नवीकरण, हस्तांतरण, संशोधन, और रद्द या सरेंडर करना शामिल हो। ये सेवाएं राज्य सिंगल विंडो प्रणाली के माध्यम से प्रदान की जानी हैं। इन 43 सेवाओं के अलावा, जून, 2025 में डीपीआईआईटी द्वारा राज्य सिंगल विंडो प्रणाली गाइडबुक जारी की गई है, जो 80 अतिरिक्त सेवाओं को चिह्नित करती है जो सभी राज्य और संघ

राज्य क्षेत्रों द्वारा पूर्णतः ऑनलाइन उपलब्ध कराई जानी है। इससे सिंगल विंडो ईकोसिस्टम, जिला-स्तर पर और अधिक प्रभावी बन सकेगा।

सेवाओं की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, ऐसी सेवाएं को, जिन्हें लोक सेवा गारंटी (पीएसजी) अधिनियम या समतुल्य विधान के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है, स्पष्ट रूप से निर्धारित समय-सीमा के साथ अधिसूचित किया जाना आवश्यक है। जिला प्राधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है कि सभी आवेदनों को, संबंधित राज्य सरकार के विभागों के साथ समन्वय करते हुए निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रोसेस किया जाए, ताकि निर्बाध कार्यान्वयन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। यद्यपि, जिले के सुविधाप्रदाता की भूमिका समान है, अनुपालन के प्रमाण भली भांति रखे जाएंगे और इन्हें प्रत्येक सेवा और अनुमोदन प्रकार के लिए अलग से प्रस्तुत किया जाएगा।

कुल मिलाकर, इन उपायों का उद्देश्य पारदर्शिता में सुधार लाना, भौतिक इंटरफेस को कम करना, पूर्वानुमान को बढ़ावा देना और प्रभावी सिंगल विंडो मंज़ूरी प्रणाली के माध्यम से जिला स्तर पर व्यवसायों के लिए सक्षम और समान सेवा आपूर्ति सुनिश्चित करना है।

(च): भारत सरकार, राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) और दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर (डीएमआईसी) के तहत संयुक्त उद्यम एसपीवी- एनआईसीडीसी हरियाणा मल्टीमोडल लॉजिस्टिक्स हब परियोजना लिमिटेड (भारत सरकार-एनआईसीडीआईटी और हरियाणा सरकार-एचएसआईआईडीसी) के माध्यम से महेंद्रगढ़ जिला, हरियाणा में एकीकृत मल्टीमोडल लॉजिस्क्टिस हब (आईएमएलएच) का विकास कर रही है। मई, 2018 में अनुमोदित इस परियोजना का उद्देश्य, पीपीपी मोड पर विश्व स्तरीय माल ढुलाई ग्राम का विकास करना है जिससे पश्चिमी डेडिकेटिड फ्रेट कॉरिडोर और उत्तरी राज्यों से ट्रैफिक का उपयोग करके इसका लाभ उठाया जा सके। यह हब उच्च-क्षमता वाले प्रचालनों सहित रेल आधारित फ्रेट और कंटेनर हैंडलिंग, वेयरहाउसिंग (बॉडिंड और सामान्य) यार्डों की देख-रेख, मूल्य संवर्धित सेवाओं जैसे पैकेजिंग, लेबलिंग, असबेंली की दिशा में सहायता प्रदान करेगा।

इस परियोजना के पूर्ण होने के पश्चात, इससे महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना है, जिसमें संपूर्ण लॉजिस्टिक्स ईकोसिस्टम में 4000 से अधिक प्रत्यक्ष और 6000 अप्रत्यक्ष रोजगारों का सृजन, लॉजिस्टिक्स और ईंधन की लागत का कम होना, प्रदूषण और दुर्घटना की दर में गिरावट आना, निर्यात में बढ़ोतरी होना तथा कर के रूप में अधिक उच्चतर राजस्व प्राप्त होना शामिल है।

*****

अनुबंध-I

दिनांक 03.02.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 475 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

विनिर्माण क्षेत्र

i. एरोस्पेस और रक्षा
ii. ऑटोमोटिव और ऑटो घटक
iii. फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरण
iv. बायो-टेक्नोलॉजी
v. पूंजीगत वस्तुएं
vi. वस्त्र एवं परिधान
vii. रसायन और पेट्रो रसायन
viii. इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और मैन्यूफैक्चरिंग (ईएसडीएम)
ix. चमड़ा और फुटवियर
x. खाद्य प्रसंस्करण
xi. रत्न और आभूषण
xii. शिपिंग
xiii. रेलवे
xiv. निर्माण
xv. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा

सेवा क्षेत्र

i. सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं (आईटी और आईटीईएस)
ii. पर्यटन और आतिथ्य सेवाएं
iii. मेडिकल वैल्यू ट्रैवल
iv. परिवहन और लॉजिस्टिक्स सेवाएं
v. लेखा और वित्त सेवाएं
vi. ऑडियो विजुअल सेवाएं
vii. कानूनी सेवाएं
viii. संचार सेवाएं
ix. निर्माण और इससे संबंधित इंजीनियरिंग सेवाएं
x. पर्यावरणीय सेवाएं
xi. वित्तीय सेवाएं
xii. शिक्षा सेवाएं

*****